जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल : : info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

Ref. No. : BRLPS/ Misc/4155 **Date :** 11.01.2018

कार्यालय आदेश

उत्तरी-पूर्वी बिहार के 9 जिलों में भूजल लौह प्रदूषण से प्रभावित है। लौह प्रदूषणयुक्त जल का व्यवहार कई प्रकार की शारीरिक व्याधियों को जन्म देता है अत: इस्तेमाल से पहले पीने के पानी को लौह प्रदूषण से मुक्त कर लिया जाना चाहिए।

टेक्नॉरबिटल कम्पनी द्वारा बी०आर०एल०पी०एस० (जीविका) को लौह प्रदूषणरोधी 'ईकोप्योर इनलाइन' वाटर फिल्टर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उन क्षेत्रों में जहाँ जल लौह प्रदूषण युक्त है जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। यह फिल्टर प्रदूषित जल से बैक्टीरिया, वायरस (विषाणु) इत्यादि को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार दूर करता है।

इन फिल्टरों का अधिष्ठापण एवं प्रयोग अत्यन्त सरल है। इसे नल या ट्यूब में लगाकर लौह प्रदूषण मुक्त स्वच्छ जल प्राप्त किया जा सकता है।

तत्काल इन्हें लौह प्रदूषण युक्त जल वाले उन जिलों में निम्न प्रकार आवंटित किया जा रहा है :

लौह प्रदूषण से प्रभावित जल वाले जिलों में वाटर फिल्टर का आवंटन							
क्र०सं०	जिले का नाम	प्रखण्डों की संख्या	प्रभावित प्रखण्डों की संख्या	आवंटन			
				डीपीसीयू कार्यालय	बीपीआईयू कार्यालय	सीएलएफ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बेगुसराय	18	18	1	18	03	22
2	खगड़िया	07	03	01	07	01	09
3	सहरसा	10	10	01	10	02	13
4	मधेपुरा	13	13	01	13	02	16
5	सुपौल	11	11	01	11	02	14
6	अररिया	09	09	01	09	02	12
7	पूर्णिया	14	14	01	14	03	18
8	कटिहार	16	16	01	16	03	20
9	किशनगंज	07	07	01	07	01	09
कुल		105	101	09	105	19	133

आवंटी जिलों के जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक (डी०पी०एम०) राज्य कार्यालय से सम्पर्क कर निर्धारित संख्या में वाटर फिल्टर प्राप्त कर लें तथा अपने जिला कार्यालय (डी०पी०सी०यू०) तथा जिले में अवस्थित प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (बी०पी०आई०यू०) में इनका अधिष्ठापण सुनिश्चित करें।

संकुल संघों (सी०एल०एफ०) में आवंटित वाटर फिल्टर लगाने के लिए संकुल संघों का चयन कर लिया जाये तथा सर्वाधिक प्रभावित व कमजोर वर्ग वाले संकुल संघों में इनका अधिष्ठापन पूर्ण देख-रेख में

कराया जाये। इस हतु टोंटी वाले नल की उपलब्धता होनी चाहिए। दो टोंटी वाले नल को लगाने से बार-बार फिल्टर का पाइप हटाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इन वाटर फिल्टरों से प्राप्त जल की गुणवत्ता इत्यादि के बारे में प्रत्येक 15 दिन में प्रतिवेदन देंगे। बी०पी०एम० इस शोधित जल का प्रयोग करनेवाले समुदाय के सदस्यों का मन्तव्य भी प्राप्त करेंगे तथा मुख्यालय को अवगत कराते रहेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

11.01.2018

(कुमार अंशुमाली)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक,
2. सभी कार्यक्रम समन्वयक/राज्य परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रबंधक
3. प्रशासी पदाधिकारी/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी
4. आई०टी० सेक्शन
5. संबंधित संचिका